MOULIN COMMERCIAL LIMITED

CIN NO.: L74899DL1982PLC067811
Regd. Office: 10, Khasra No-239, M. G. Road, Manglapuri, Gadaipur, New Delhi-110030
E-mail: info@vinylgroup.com **Telephone**: 91-11 41401872 www.moulin.co.in

Date: 09.09.2024

TO,
THE LISTING DEPARTMENT,
THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE LIMITED,
7, LYONS RANGE,
KOLKATA – 700 001

Ref: ***Scrip Code: 023170 (ISIN: INE642D01015) Moulin Commercial Limited***

Sub: Intimation of publication of notice calling 42nd Annual General Meeting, closure of transfer books and remote e- voting information in newspaper.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30, 47 and other applicable regulations, if any, of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder (as amended from time to time) and Secretarial Standard- 2 (SS-2) on General Meetings as issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), please find enclosed copy of the notice published in the following newspaper:

1. "The Pioneer" in English edition; and
2. "Pioneer" in Hindi edition.

on Monday, the 9th day of September, 2024, providing information inter-alia, w.r.t. the following:

1. the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company,
2. completion of dispatch of notice and Annual Report for the Financial Year 2023-24,
3. details of remote e-voting facility and
4. announcement of the closure of transfer books period.

The copies of the newspaper publications are enclosed for your reference.

You are requested to kindly take the above in your records.

Thanking You.

Yours faithfully,

For **MOULIN COMMERCIAL LIMITED**

For MOULIN COMMERCIAL LTD.

Director

ASHISH GUPTA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00115090

शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा, दो धरे

● बैंकॉक हो गए थे फरार, लोगों को 70 हजार का लगाया चूना

पैसा मांगने वाले लोगों के पीछे दौड़ा देते थे विदेशी कुत्ता

दोनों आरोपियों के खिलाफ नोएडा के थाना सेक्टर-63 में 200 से ज्यादा शिकायतें पहुंची हुई हैं। ठगी की कमाई से आरोपियों ने कई जगह प्रॉपर्टी खरीद रखी हैं। ठगी के शिकार लोग जब आरोपियों के बागपत स्थित घर पर पैसा मांगने के लिए पहुंचते थे तो आरोपी उनके पीछे अपना विदेशी नस्ल का कुत्ता दौड़ा देते थे। खुद पीड़ित लोगों ने ये बात एसटीएफ अधिकारियों को बताई है। इन आरोपियों ने नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में हैलो टैक्सी, लिफो मार्ट, ट्रेडिंग मास्टर, क्रिशा इनकैप ब्रोकर हाउस, कल्पवृक्ष ट्रेडिंग मास्टर और माया वॉल्ट नाम से कई प्रोजेक्ट चलाए। सभी में ठगने का तरीका एक था। 10 हजार रुपए इन्वेस्ट करिए और कुछ महीनों बाद 14 हजार रुपए वापस कर दिए जाएंगे। मोटी कमाई के झांसे में आने वाले लोगों ने कई-कई लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। शुरुआत में उन्हें फायदा मिला, लेकिन बाद में पैसा आना बंद हो गया। तब जाकर ठगी का एहसास हुआ।



पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद से एसटीएफ यूनिट मेरठ ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे के नाम पर 70 करोड़ रुपए ठगने वाले दो आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी ठगी करके बैंकॉक भाग गए थे।

कुछ दिनों पहले ही वहां से वापस लौटे थे। अब फिर से इनका प्लान एक नई कंपनी खोलकर ठगी करने का था। उससे पहले ही ये एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। दोनों को नोएडा की सेक्टर-63 थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया- पकड़े गए आरोपी विनोद कुमार धामा और रविंदर उर्फ नवाब निवासी बागपत हैं। दोनों की गिरफ्तारी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वसुंधरा सेक्टर-5 स्थित मोहन मिकन सोसाइटी के फ्लैट से हुई है। इनसे 6 मोबाइल और कंपनी के अकाउंट नंबर व अन्य डॉक्यूमेंट रिकवर हुए हैं।

दोनों आरोपियों पर नोएडा के थाना सेक्टर-63, राजस्थान के उद्योग नगर सीकर में मुकदमे दर्ज हैं। हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन में भी प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट का एक केस दर्ज है। एसटीएफ अधिकारियों ने बताया- ये दोनों व्यक्ति पब्लिक को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देते हैं। उनसे पैसा निवेश कराते हैं। जब ज्यादा पैसा जमा हो जाता है तो कंपनी बंद करके भाग जाते हैं। फिर यही काम दूसरी जगह नई कंपनी खोलकर करते हैं। इन्होंने कल्प वृक्ष ट्रेडिंग मास्टर टेक्नोलॉजी प्रा.लि नाम से नोएडा के सेक्टर-63, हाट सिक्योरिटी लिमिटेड व आयुर्वेद इंडिया लिमिटेड नाम से गाजियाबाद में ट्रेडिंग फर्म खोली थीं। यहां इन्होंने लोगों से करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कराया और भाग गए।

दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार

● गांव वालों ने किया सामाजिक बहिष्कार का ऐलान

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

जेवर में दनकौर कोतवाली क्षेत्र के जगनपुर गांव में 24 अगस्त को काले खां की निवासी निधि की अतिरिक्त दहेज न मिलने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर छह आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ। पुलिस ने चार आरोपियों— पति दीपक भड़ाना, ससुर रमेश भड़ाना, सास मुंद्रेश और देवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं। रविवार को जगनपुर और मुरसदपुर गांव के लोगों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें रमेश भड़ाना के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।

ग्रामीणों ने सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। बलराज सिंह, जगत सिंह, विजयपाल, इंद्राज, पप्पू नागर, महिपाल भड़ाना, कालू भाटी, धर्मराज भाटी, सुखवीर और जयराज जैसे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रमेश भड़ाना का व्यवहार पहले भी विवादास्पद रहा है। मेरठ के धनतला गांव से भागकर वह जगनपुर में बस गए थे, जहां भी उनका आचरण ठीक नहीं था। ग्रामीणों ने दहेज हत्या की घोर निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इससे पहले, शुक्रवार को मृतका निधि के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की थी। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने कहा कि फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है।

संक्षिप्त समाचार

बुजुर्गों को खेल-खेल में दिया सेहत का मंत्र



गाजियाबाद। गाजियाबाद के अर्थला स्थित 'आंगन और आंचल' वृद्धाश्रम में रविवार की सुबह अन्य दिनों से अलग थी। जहां वहां बुजुर्गों को खेल खेल में स्वस्थ रहने व सेहत का मंत्र दिया जा रहा था। यह प्रयास वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. ख्याति शर्मा के नेतृत्व में प्रत्यक्ष मल्टी स्पेशलियटी क्लीनिक के चिकित्सकों की टीम डॉक्टरों की टीम कर रही है। इस दौरान चिकित्सकों की टीम ने हैंड टू बॉल, फेंकने और व्यायाम के माध्यम से किया गया। उन्होंने बताया कि यहां मौजूद बुजुर्गों को उम्र संबंधी व अन्य समस्या है जिसके लिए उनकी टीम समय समय पर प्रयास करती रहेगी। इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में बुजुर्गों की श्वसन तंत्र , हड्डियों की तकलीफ, घुटनों में दर्द समेत अन्य समस्याओं की जांच की और उससे राहत के तरीके भी बताया गया। इस दौरान डॉ. प्रिया, डॉ. सुमित, डॉ. श्रद्धा और डॉ. नितेश का विशेष योगदान रहा। यह वृद्धाश्रम की संचालिका सुदर्शना ने इस पहल की सराहना की।

मुखौटा गैंग के तीन बदमाश पकड़े

नोएडा। नोएडा में मखौटा लगाकर चोरी करने वाले एक गिरोह के तीन बदमाशों को थाना सेक्टर-58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे से एक नाबालिग है। इनके कब्जे से दो प्लास्टिक के मखोटा , मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस इनका आपराधिक रिकार्ड खंगाल रही है। इनकी पहचान निखिल और जसवीर हुई है। पुलिस ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि तीन बदमाश वारदात को अंजाम देने की फिराक में सेक्टर-55/56 खोडा टी पाइंट के पास घूम रहे है। पुलिस ने घेराबंदी की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बाइक चोरी की घटनाओं को करना स्वीकार किया। निखिल व जसवीर उर्फ जतिन शातिर किस्म के अपराधी है। ये दोनों लोग मखोटा पहनकर चोरी करते थे। ताकि सीसीटीवी कैमरों की नजर से अपने चेहरों को छिपा सके। इनके पास एक थरेड कटर भी मिला है। इसके जरिए ये मोटरसाइकिल का तार काटकर उसको डायरेक्ट करके मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर उसकी चोरी करते थे। पूछताछ पर इन्होने बताया कि इनसे बरामद मोटरसाइकिल को पिछले महीने में इन तीनों ने मिलकर कोंडली दिल्ली से चोरी की है।

किशोरियों के लिए पोषण पदार्थ का वितरण

नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर अवनीश सक्सैना के दिशा-निर्देशन तथा अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता व जागरुकता शिविर का आयोजन राजकीय संप्रेषण गृह किशोरी में निवासित बालिकाओं के मध्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आज गलगोटिया विश्वविद्यालय के सहयोग से संप्रेषण गृह में रह रही बालिकाओं के मध्य उनकी आवश्यकताओं के अनुसार न्यूट्रीशन एवं अन्य वस्तुओं का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं के लिये के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं के संबंध मे जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिविर में किशोरियों को उनके मुकदमें में विधिक सहायता हेतु जानकारी उपलब्ध कराई गई। गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा किशोरियों के लिये सेनिट्री नेपकीन, दलिया, फल व बिस्किट आदि सामग्री वितरण की गयी। उक्त शिविर में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर ऋचा उपाध्याय के साथ सम्प्रेक्षण गृह की प्रभारी अधीक्षिका व गलगोटिया विश्वविद्यालय के फैकेल्टी व छात्राएं उपस्थित रहे।

लूटपाट करने के मामले में वांछित डकैत गिरफ्तार



नोएडा। थाना ईकोटेक-तीन के प्रभारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि 28 अगस्त को 7-8 बदमाशों ने कुलेसरा के सरस्वती एंक्लेव में रहने वाले विनीत के घर पर धावा बोलकर डकैती डाली थी। वहां से बदमाशों ने 10 हजार रुपए नकद, सोने चांदी के आभूषण लूट लिया था। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि विकास उर्फ किंगकाग पुत्र फौजदार घटना के समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने बीती रात को इसे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इसके पास से लूटे गए आभूषण बेचकर इकट्ठी की गई 18 हजार रुपए की रकम पुलिस ने बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल कुछ अन्य बदमाश अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

दो सड़क हादसों में चार युवकों की मौत

● शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा



पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में रविवार सुबह दो सड़क हादसे हुए। दोनों हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने हादसा करने वाले वाहनों को कब्जे में ले लिया है।

वहीं शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पहला हादसा नेशनल हाईवे-9 पर विजय नगर में जल निगम पिंक बूथ के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ। यहां एक बस और स्कूटी में टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्कूटी सड़क पर गिरकर बस के नीचे आ गई। स्कूटी चालक सुशील कुमार (35) और आजाद कुमार (36) की मौके पर मौत हो गई। स्कूटी सवार सुशील कुमार दिल्ली से मेरठ तिराहे की तरफ जा रहे थे। मेरठ तिराहे की तरफ मु ?ने के कुछ दूरी पर ही बस ने स्कूटी में टक्कर मार दी।

सूचना पर विजयनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाकर स्कूटी को बस के नीचे से निकलवाया। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी बस ड्राइवर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

उधर, दूसरा हादसा मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मसूरी थाना क्षेत्र में हवा-हवाई रेस्टोरेंट के पास हुआ। मेरठ के लावड़ कस्बा निवासी सुनील और किठौर निवासी सचिन हरिद्वार से सामान भरा कैंटर लेकर पुणे (महाराष्ट्र) जा रहे थे। सुबह करीब 8 बजे उन्होंने एक्सप्रेस-वे किनारे कैंटर रोका और टायर चेक कर रहे थे। तभी एक दूसरे कैंटर ने दोनों को कुचल दिया। उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी कैंटर ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई। इससे ये हादसा हुआ।



थाना सेक्टर-126 पुलिस चरखा गोलचक्कर पर वाहनों से काली फिल्म उतारते पुलिसकर्मी।

नोएडा की प्रस्तावित फिल्म सिटी से घेराबंद हटाने का आदेश

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी नोएडा के सेक्टर-11 में प्रस्तावित फिल्म सिटी से तार के बाढ़ को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों की कृषि भूमि खरीदे या अधिग्रहीत किए बगैर तार की बाड़ लगाकर की गई घेराबंदी उचित नहीं है।

यह आदेश जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने जेवर तहसील के रबूपुरा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार और 8 अन्य किसानों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने फिल्म सिटी के लिए किसानों से जमीन खरीदने की बातचीत शुरू की, लेकिन कीमत को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इस कारण किसानों ने जमीन का बैनामा नहीं किया और न ही सरकार ने अधिग्रहण किया है। इसके बावजूद यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने खेतों की तार की बाड़ से घेराबंदी कर ली है। फिल्म सिटी योजना में फिल्म निर्माता बोनी कपूर, आशीष भूटानी ग्रुप भी शामिल हैं। यहां सैकड़ों एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी बनाने की योजना है। याचिका में जमीन के कब्जे में दखल देने से रोकने और जब तक बैनामा न हो जाए, तार की बाड़ हटाने की मांग की गई है। यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के अधिवक्ता ने माना कि जमीन का बैनामा नहीं हुआ है।

फरार महंत मुकेश गोस्वामी पर 1 लाख का इनाम घोषित

गाजियाबाद। गाजियाबाद में मोदीनगर के मुरादनगर में गंगनहर घाट में महिला चेजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में 110 दिन से फरार चल रहे शनि मंदिर के महंत पर पुलिस ने एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट भी महंत की गिरफ्तारी ना होने पर कड़ी नाराजगी जता चुका है। बता दें कि बीती 21 मई को गंगनहर घाट परिसर में एक महिला अपनी 14 साल की पुत्री के साथ महिला चेजिंग रूम में कपड़े बदल रही थी। महिला ने आरोप लगाया था कि चेजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। जो महंत के मोबाइल से कनेक्ट हैं।

23 मई को महिला की तहरीर पर पुलिस ने महंत मुकेश गोस्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया था। महंत के मोबाइल से पुलिस को 320 वीडियो मिली थी।

महंत के मोबाइल का डाटा रिकवर करने के लिए लैब भेज दिया था। पिछले दिनों महंत ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने भी महंत की गिरफ्तारी ना होने पर नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस से जबाव भी मांगा था।

तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर 169 शिकायतें हुई दर्ज

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा में जन सामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित गति के साथ निस्तारण कराने के उद्देश्य से आज जनपद की तीनों तहसीलों में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ।

जनपद की तीनों तहसीलों में कुल 169 शिकायतें दर्ज हुई, जिसके सापेक्ष 15 शिकायतों का निराकरण विभागीय अधिकारियों के द्वारा मौके पर ही सुनिश्चित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई।

आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिला अधिकारी द्वारा जन सामान्य की शिकायतों का अनुश्रवण किया गया एवं जन सामान्य के द्वारा कुल 15 शिकायतें विभिन्न विभागों से संबंधित दर्ज कराई गइ। जिला अधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एवं शासन गंभीर है।

एक हफ्ते में एटीएम से दूसरी बार चोरी

गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक हफ्ते में एक ही एटीएम में दूसरी बार चोरी हुई है। कार से सवार होकर आए चोरों ने एटीएम बूथ से कई बैटरियां चुरा ली।

चोरों ने एटीएम मशीन को भी तोड़कर कैश निकालने की कोशिश की। जो सफल नहीं हो सका। मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में टीला कोठी स्थित इंडिया वन एटीएम का है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। इस पूरी घटना से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इसके मुताबिक, पूरी घटना रात करीब 3 बजे के आसपास हुई। सबसे पहले दो चोर एटीएम के अंदर घुसे।

एयरपोर्ट के लिए विस्थापित गांव की दयनीय हालत

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दर्जनों गांवों को विस्थापित किया गया है। इनमें जेवर के रनहेरा गांव को भी शामिल किया गया था। एयरपोर्ट के नाम पर गांव की जमीन और घरों को छोड़ने वाले ग्रामीण अब कठिनाई में हैं। गांव के घरों में पानी भर गया है, और रास्ते भी बुरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं।

ग्रामीणों ने विकास के नाम पर अपने गांव की जमीन देने का फैसला किया था, लेकिन अब स्थिति यह है कि प्रशासन और प्राधिकरण उनकी मदद करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सिंचाई विभाग ने गांव के नाले को बंद कर दिया है, जिससे गांव के चारों ओर पानी भर गया है और स्थिति बेहद खराब हो गई है। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसके 2025 तक चालू होने की उम्मीद है।

एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एक दर्जन से ज्यादा गांवों को विस्थापित किया गया है। रनहेरा गांव को भी इसी योजना के तहत विस्थापित किया गया था और प्राधिकरण ने गांव को तमाम सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब गांव में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा कि रनहेरा गांव के लोगों ने एयरपोर्ट और क्षेत्रीय विकास के लिए अपने गांव को छोड़ा था। लेकिन जिस जगह पर उन्हें बसाया गया है, वहां की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

मौलिन कमर्शियल लिमिटेड
सीआईएनः L74899DL1982PLC067811
पंजी. कार्यालयः 10, खसरा नं. 239, एम.जी रोड, मंगलपुरी, गडियापुर, दिल्ली-110030
ईमेलः info@vinylgroup.com, फोनः +91-11-41401872, वेबसाईटः www.moulin.co.in
42वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन की सूचना
स्थानांतरण बुक क्लोज़र और ई-वोटिंग की जानकारी

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मौलिन कमर्शियल लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक (42वीं वार्षिक आम बैठक) सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 10, खसरा सं. 239, एम.जी. रोड, मंगलापुरी, गदाईपुर, नई दिल्ली-110030 पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 30 सितम्बर, 2024 को आयोजित 42वीं वार्षिक आम बैठक हेतु जारी नोटिस में निर्धारित व्यवसायों का संचालन करने हेतु। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 42वीं एजीएम की सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर या उनके ई-मेल आईडी पर भेज दी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी या संबंधित डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 42, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, के अनुसार, इसके द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि 42वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण शनिवार, 7 सितम्बर, 2024 को पूरा हो गया है।

अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के साथ, कंपनी सभी शेयरधारकों (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में शेयर रखने वाले) को 42वीं एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है (अर्थात रिमोट ई-वोटिंग)। इसके अलावा, कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को अधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए आवश्यक विवरण निम्नानुसार हैं:

क) 42वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने संबंधी नोटिस में उल्लिखित प्रस्तावों पर दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से विचार किया जा सकता है।
ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समयरू शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 (प्रातः 9:00 बजे)।
ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समयरू रविवार, 29 सितंबर 2024 (शाम 5:00 बजे)।
घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या 42वीं एजीएम में मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 है। सदस्यों के मताधिकार, कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
ङ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान रविवार, 29 सितंबर 2024 को शाम 5 बजे के बाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे कंपनी की 42वीं एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी 42वीं एजीएम के आयोजन स्थल पर मतदान के लिए मतपत्रों की व्यवस्था करेगी।
जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
च) कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का शेयरधारक बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 23 सितंबर, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com या info@vinylgroup.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। 42वीं एजीएम के लिए जारी नोटिस में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी दी गई है, जो कंपनी की वेबसाइट www.moulin.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
छ) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, वह 42वीं एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ मतपत्रों के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
ज) कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.moulin.co.in के निवेशक सूचना अनुभाग में तथा सीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.cse-india.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
झ) कंपनी ने एपीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी (सीपी सं. 7077, सदस्यता संख्या एफ6496) के भागीदार और कार्यरत कंपनी सचिव श्री चेतन गुप्ता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग) के साथ-साथ 42वीं एजीएम में आयोजित होने वाली वोटिंग प्रक्रिया के लिए जांचकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।
ट) 42वीं वार्षिक आम बैठक के मतदान का परिणाम कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से दो (2) कार्य दिवस के भीतर घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, सदस्यों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखे जाएंगे, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।
ठ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, शेयरधारक 42वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, कृपया https://www.evoting.nsdl.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध सहायता/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और मैन्युअल रूप से ई-वोटिंग देखें या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल लिखें या एनएसडीएल हेल्पडेस्क से टोल फ्री नंबर 18001020990/1800224430 पर संपर्क करें या कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री मीनाक्षी को cs@vinylgroup.com पर ईमेल लिखें या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 10, खसरा नं. 239, एमजी रोड, मंगलपुरी, गदाईपुर, नई दिल्ली-110030 पर स्थित पते पर संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
मौलिन कमर्शियल लिमिटेड
हस्ता/-
मीनाक्षी
कंपनी सचिव
दिनांकः 09.09.2024
स्थानः नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE
Public at large is hereby informed that my clients Subhash S/o Banshi Lal R/o 55A, A Block, Gali No.2, Harijan Basti Nasipr Pur Colony, Delhi-110045 have disowned and debarred their son Lalit Kumar and his wife Smt. Savita from all their movable and immovable properties and has also severed all relations with them being derogatory and out of control. Anybody dealing with them shall do so at their costs and risks. My client shall not be responsible. Ankit Khatri Advocate".
ANKIT KHATRI (Advocate) Ch No.B-108, B.G.S. Block Tis Hazari Court Complex, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE
This is for public information that TYAGI HOSPITAL & MATERNITY CENTRE at 210 GT Road Sarai Pipal Thala Near Azadpur Subzi Mandi Delhi-110033 Mob-9650498079 is Destroying its medical record for out patient & Indoor patients treated before Dec-2010. Any one who desire to keep / preserve his/her medical record please contact (TYAGI HOSPITAL & MATERNITY CENTRE) with in 15 days of publications of this notice.
NOTE- Medical Records are considered Private information. Please contact Personally, Patient by Him/Herself.
For **TYAGI HOSPITAL & MATERNITY CENTRE**
TYAGI HOSPITAL & MATERNITY CENTRE 210, G. T. Road, Sarai Pipal Thala, Near Azad Pur, Subzi Mandi, Delhi-33 (M) 9650498079

LOST & FOUND
I, Geeta Rajora W/o Navinder Rajora, House No – 5741, Gali No – 81, Regar Pura, Karol Bagh, New Delhi – 110005 have lost my all Original Property Documents/Papers in respect of Plot No – 116 Block and Pocket A-3, Sector-29, Rohini Delhi. An FIR/NCR to that effect has already been lodged with Delhi Police Crime Branch vide SO No. 430/2014/ LR. NO. 2098309/2024 dated 07/09/2024. Finder please inform to mentioned above address.

एथलीट सिमरन की जिंदगी कोच और जीवनसाथी ने बदली

● ट्रैक एंड फील्ड में कांस्य पदक जीतकर गाजियाबाद जिले का नाम किया रोशन

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद के मोदीनगर में ट्रैक एंड फील्ड एथलीट सिमरन शर्मा ने शनिवार रात को पेरिस पैरालंपिक खेलों में महिलाओं की 200 मीटर टी-12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सिमरन शर्मा ने इस दौरान कई प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके बाद साल 2015 में सिमरन की मुलाकात लखनऊ के एथलीट गजेंद्र सिंह से हुई। सिमरन को शायद ही पता था कि वह न केवल उनके कोच बनेंगे, बल्कि उनके जीवन साथी भी बनेंगे। सिमरन से मुलाकात के बाद गजेंद्र सिंह ने सिमरन की प्रतिभा को पहचानते हुए एथलेटिक्स का अभ्यास कराने लगे। उनके सम्मान और एथलेटिक्स के प्रति दोनों के साझा जुनून का रिश्ता एक दिन शादी तक आ पहुंचा।

इसके बाद से सिमरन के पति ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे उनके ट्रैक एंड फील्ड प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ। गजेंद्र सिंह आर्मी सर्विस कोर के लिए काम करते हैं। गजेंद्र ने ना केवल सिमरन की जिंदगी में एक



सिमरन

बेहतरीन कोच की भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने एक अच्छा जीवनसाथी होने का भी फर्ज निभाया। सिमरन शर्मा साल 2021 में टोक्यो पैरा गेम्स में 100 मीटर-टी 13 में 12.69 के समय के साथ 11 वें स्थान पर रही थी। सिमरन की कड़ी मेहनत और लचीलापन ने उन्हें शारीरिक और सामाजिक आर्थिक चुनौती से उबरने में मदद की और जून में जापान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 200 मीटर टी-12 में स्वर्ण पदक जीता था।

सिमरन 2022 से 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप और इंडियन ओपन जीत रही हैं। उन्होंने पिछले साल हांगझोउ में एशियाई पैरा खेलों में दो रजत पदक भी जीते थे। कर्नाटक में आयोजित पांचवी इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में टी-12 श्रेणी में सिमरन ने 100 मीटर दौड़ को 12.12 सेकंड में पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर स्वर्ण जीता था।

इसके अलावा साल 2023 के खेलों इंडिया पैरा गेम्स में सिमरन ने 100 मीटर, 200 मीटर और लंबी कूद में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक हासिल किए थे। इन उपलब्धियों के कारण ही भारत सरकार ने सिमरन को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) में शामिल किया है। हालांकि एथलेटिक्स चैंपियनशिप से लौटने के कुछ समय बाद ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन सिमरन ने अपने दुख को प्रेरणा में बदल दिया। सिमरन अपने पति गजेंद्र सिंह से प्रशिक्षित होकर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रशिक्षण लेती हैं।

आसपास के लोग हीन भावना से देखते थे

मोदीनगर निवासी सिमरन शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की दहलीज तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार किया। शुरू से ही दृष्टिबाधित होने के कारण आसपास के लोग इन्हें हीन भावना से देखते थे और उसे अक्सर चिढ़ाते थे। सिमरन का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। सिमरन के पिता मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इसके बाद सिमरन का दाखिला मोदीनगर स्थित रूकमणि मोदी महिला इंटर कॉलेज में कराया गया। जिससे सिमरन के जीवन पर इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस दौरान सिमरन को अपने अंदर एथलेटिक्स के प्रति जुनून का पता चला। इसके बाद सिमरन ने कॉलेज की कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और दौड़ के दौरान अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। इसके बाद सिमरन ने इसे अपने करियर का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। जिसके बाद लगातार सिमरन ने नियमित कड़ा अभ्यास कर अंतर-कॉलेज प्रतियोगिता के खेलों में पदक जीता। सिमरन के लगातार इस शानदार प्रदर्शन ने दिखा दिया कि भारत में भी दृष्टिबाधित खिलाड़ी अपने हुनर और कड़ी मेहनत से अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन सकता है। सिमरन की उपलब्धियां जिले के कई युवा और दिव्यांग खिलाड़ी को प्रेरणा देने का काम करेगी। जिससे आने वाले सालों में जिले से सिमरन शर्मा की तरह कई और प्रतिभाशाली एथलीट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का परचम लहराएंगे।